कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला– कबीरधाम छ.ग.

Email-id cmho_kabirdham@yahoo.com office phone-07741-299972

क्रमांक / स्था.अविज्ञप्त / 2023 / 6086 कबीरधाम दिनांक 01 SEP 2023

//आदेश//

छ.ग. शासन गृह विभाग का आदेश कमांक एफ 04–104 / गृह–सी / 2023 दिनांक 11.07.2023 के द्वारा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क्र. 10 सन् 1979) की धारा 4 की उप–धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के जारी किये जाने की तारीख से, अनुसूची के भाग ''क'' के सरल कमांक (तीन) में विनिर्दिष्ट ''लोक स्वास्थ्य'' (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) से संबंद्व समस्त कार्यो और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी द्वारा कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध है।

छ.ग. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र कमांक / 5303 / 4211 / सा / 2023 / सत्रह / एक नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 22.08.2023 के तहत स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकीय अमला एक अत्यावश्यक सेवा की श्रेणी में आता है जहॉ विभिन्न आपातकालीन गंभीर बीमारियों / सड़क दुर्घटना / आपातकालिन सर्जरी आदि गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों का ईलाज किया जाता है यदि आप ही हड़ताल में जातें है तो आम जनता को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा एवं जनहानि की संभावना बन जावेगी। **वर्तमान में एस्मा लागू है।**

आपको इस कार्यालय के पत्र कमांक / सी.एम.एचओ. / 2023 / 5926–27 कबीरधाम दिनांक 23.08.2023 एवं पुनः इस कार्यालय के पत्र कमांक / सी.एम.एचओ. / 2023 / 5980–81 कबीरधाम दिनांक 26.08.2023 के माध्यम से 24 घण्टे के भीतर संस्था प्रमुख को उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिया गया था, किन्तु उसके बाउजूद भी आपके द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश कि अवहेलना करते हुए अपने कर्तब्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है तथा अपनी उपस्थिति पदस्थापना स्थल में नही दिये है।

उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम (3) उपनियम (1)(2)(3) एवं नियम (6) (7) के विपरीत होने के कारण दण्डनीय है अतः निम्नलिखित कर्मचारियों को सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 नियम 9(1) के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	पदस्थापना स्थल	निलंबन उपरांत निर्धारित मुख्यालय	रिमार्क
1	श्री गोलूराम सोनवानी	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष	उपस्वास्थ्य केन्द्र बारदी	सामु.स्वा.केन्द्र पिपरिया, जिला कबीरधाम	
2	श्री भिष्मदेव जायसवाल	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष	उपस्वास्थ्य केन्द्र नेऊरगांव खुर्द	सामु.स्वा.केन्द्र बोड़ला, जिला कबीरधाम	

निलंबन अवधि में इन्हे मूलभूत नियम 53 के तहत मुख्यालय में उपस्थिति कि स्थति में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी
जिला – कबीरधाम छ.ग.

कमशः 02......

पृ. कमांक / स्था.अविज्ञप्त / 2023 / 6087 कबीरधाम दिनांक 01 SEP 2023

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, विभागाध्यक्ष कार्यालय ब्लॉक एक तृतीय तल अटल नगर रायपुर छ.ग. की ओर दिये गये निर्देश के परिपालन में सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर संभाग, पुराना नर्सेस हॉस्टल, डीकेएस भवन परिसर रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम की ओर सूचनार्थ।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ।
6. खण्ड चिकित्सा अधिकारी पिपरिया / बोड़ला की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम.स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य लिपिक / स्थापना स्थानीय / शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
9. संबंधित श्री ....को खण्ड चिकित्सा अधिकारी पिपरिया / बोड़ला के माध्यम से सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. कार्यालयीन प्रति।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी
जिला – कबीरधाम छ.ग.